न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2223/2026

CNR:–**UPSP010058082026**

शिवकुमार पुत्र स्व० रकम सिंह, निवासी ग्राम नन्दी फिरोजपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–134/2026
धारा–85, 80(2)भा०न्या०सं०
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कोतवाली देहात, जिला–सहारनपुर।

10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **शिवकुमार** द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम आवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्र पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम मोहनपुरा थाना गंगोह सहारनपुर ने वर्ष 2024 में अपनी पुत्री अंजू की शादी अर्जुन पुत्र रकम सिंह, निवासी ग्राम नन्दी फिरोजपुर, थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से घरेलू सामान देकर की थी। प्रार्थी द्वारा दिये गये दान–दहेज से प्रार्थी की पुत्री के ससुरालजन देवी सिंह पुत्र रकम सिंह व राजकुमार पुत्र रकम सिंह व शिवकुमार पुत्र रकम सिंह खुश नहीं थे और आये दिन मेरी पुत्री से दहेज की मांग को लेकर घरेलू हिंसा करके प्रताड़ित करते थे। दिनांक 01.04.2026 को समय करीब 08.30 बजे रात्रि में हमें सूचना मिली की तुम्हारी पुत्री अंजू की मृत्यु हो गयी है मैं व मेरे परिजन नन्दी फिरोजपुर पहुंचे तो पता चला कि उसके ससुरालीजनो ने शमशान घाट में ले जाकर मेरी पुत्री को जला दिया है। मेरी पुत्री को दहेज को के लिए प्रताड़ित कर मार दिया है। अतः मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से बहस की गयी है कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है, जब कि प्रार्थी ने कोई अपराध किसी भी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। वाद उक्त की कथित घटना दिनांक 01.04.2026 को 20.30 बजे की बतायी गयी है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 02.04.2026 को 02.33 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी का उक्त घटना से कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी शादीशुदा है। प्रार्थी की पत्नी सोनी व प्रार्थी के दो बच्चे रोहन 8 वर्ष व रोनी 4 वर्ष है जो गांव नन्दी में ही अपने अलग मकान में रहते है और प्रार्थी व उसके परिवार का अलग गांव में राशनकार्ड बना हुआ है। प्रार्थी करीब 10–11 वर्ष से जिला रूद्रपुर उत्तराखण्ड में प्राईवेट काम करत है और वहीं पर रहता है, कभी–कभी गांव में आता है। प्रार्थी को बाद में पता चला कि मृतका अंजू काफी गुस्सैल स्वभाव की थी और उस समय घर पर कोई नहीं था

उसने स्वयं ही फांसी लगाकर आत्म हत्या की है। सहअभियुक्त अर्जुन जो मृतका का पति है उसके द्वारा वादी पक्ष को फोन पर सूचना दी गयी थी और वादी व उसके परिवार वालो द्वारा आकर मृतका का अन्तिम संस्कार कराया गया था और उन्होंने ही मृतका का पोस्टमार्टम व पंचायतनामा भी नहीं कराने दिया था किन्तु बाद में लोगो के कहने–सुनने व अनुचित मांग करने हेतु यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रार्थी द्वारा मृतका व वादी पक्ष से कभी कोई दान–दहेज की मांग नहीं की। क्योंकि प्रार्थी अलग रहता है इस बाबत गांव की वर्तमान प्रधान मुनेश देवी द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया है जिसकी छाया प्रति व राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी स्थायी निवास है भागने या जमानत का दुरूपयोग किये जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदिक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की पुत्री अंजू को अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए तंग व परेशान करने, उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते हुए उसकी दहेज हत्या कारित करने का आरोप है। आवेदिक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त मृतका अंजू का जेठ है। मृतका की शादी सहअभियुक्त अर्जुन के साथ हुई थी। मृतका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अंदर कारित हुई है। वादी द्वारा दिये गये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। सीडी के पर्चा नं. 5 में बयान गवाहों कुलदीप पुत्र मंगतराम, सचिन चौहान पुत्र ओमपाल चौहान, सोनू पुत्र रूलिया, विनोद पुत्र रूलिया, संदीप कुमार पुत्र महेंद्र मदन पाल पुत्र कवल सिंह, श्रीमती कुसुम पत्नी जयपाल, अशोक पुत्र राजपाल, श्रीमती गीता पत्नी अशोक कुमार के बयानों में भी आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री मृतका अंजु को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व मृतका अंजु की दहेज हत्या कारित कर परिजनों की अनुपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किये जाने का कथन किया है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है। सहअभियुक्त देवी चंद का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिक/अभियुक्त **शिवकुमार** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2223/2026 निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति, संबंधित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक 10.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम, सहारनपुर।
(J.O. Code–UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.03 18:18:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court